# GOVERNMENT OF JHARKHAND URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT

4<sup>th</sup> Floor, Project Bhawan, Dhurwa, Ranchi- 834004.

Advertisement No:- 01/सा०स्था-41 / 2017 न0वि0आ0./11

Dated- 02-01-2018

## Invitation of applications for the post of Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) on contractual basis for providing services in various Urban Local bodies under Urban Development & Housing Department, Jharkhand.

The Urban Development & Housing Department, Government of Jharkhand hereby invites applications for the post of Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) on contractual basis for providing services in various Urban Local bodies under Urban Development & Housing Department, Jharkhand from Diploma holders with requisite qualifications as enumerated below for providing services against following posts on contractual basis -

SI. No.	Description of post	No. of post	Reservation								Monthly consolidated
			UR	ST	sc	EBC-	BC-II	Qualification	Service basis	Contract period	remuneration (In case of Contract)
1	Junior Engineer, Civil	93	47	24	09	07	06	Diploma in Civil Engineering from Government Polytechnic Institute of Jharkhand.	contractual basis	3 Years or till the regular appointment, whichever is earlier.	28,755/-
2	Junior Engineer, Electrical	23	12	06	02	02	01	Diploma in Electrical Engineering from Government Polytechnic Institute of Jharkhand.	contractual basis	3 Years or till the regular appointment, whichever is earlier.	28,755/-
3	Junior Engineer, Mechanical	25	13	06	03	02	01	Diploma in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Institute of Jharkhand.	contractual basis	3 Years or till the regular appointment, whichever is earlier.	28,755/-

#### 2. The conditions of providing services on contract basis are as under:-

- (i) Posts advertised shall be filled up only on contractual basis as indicated.
- (ii) The total number of vacancies as indicated above will be filled up as per the requirement, strictly in accordance with merit.
- (iii) Procurement of services would be for a period of 3 Years or till the regular appointment, whichever is earlier.
- (iv) Quarterly Performance appraisal & Monitoring would be carried out to ensure achievement of the objectives behind this arrangement.
- (v) The contract shall be effective from the date of actual contractual engagement.
- (vi) The selected personnel would assist the Urban Development & Housing Department/Chief Executive Officer/Executive Officer/Special Officer of Municipal Corporation/Nagar Parishad/Municipalitiy/ Nagar Panchayat/Notified Area Committee in carrying out various functions and also comply with instructions issued by Urban Development & Housing Department, Govt. of Jharkhand, from time to time.
- (vii) Reservations as per the policy of Government of Jharkhand shall be applicable.
- (viii) Successful candidates on contract basis will have to sign a contractual agreement with the Urban Development & Housing Department, Govt. of Jharkhand.

- (ix) The contractual engagement shall not confer any right or claim of extension/absorption in the Urban Local Bodies under the Urban Development & Housing Department, Govt. of Jharkhand.
- (x) Candidates shall have to indicate their choice for providing services on contractual basis in various Urban Local Bodies (ULBs) in the order of descendance in the prescribed form for order of preference, in light of which, the selected candidates would be assigned contract in various ULBs as per administrative feasibility. Therefore, only those candidates willing to serve any where in the Jharkhand shall apply.
- (xi) After preliminary scrutiny, the shortlisted applicants shall be called for short written and personality test for final selection. Date, time and venue for the test will be intimated by the Urban Development & Housing Department, Govt. of Jharkhand in due course.
- (xii) Candidates already serving in State Government or Government of India including Public Sector Undertaking, have to submit 'No Objection Certificate' from their parent Department/Organisation and shall apply through proper channel, who have passed from Jharkhand. However, Urban Development and Housing Department, GoJ shall only pay the monthly consolidated remuneration to such candidates upon their engagement in the Department and shall not be liable in any way to entertain any other benefits to such candidates.

#### 3. Application Procedure :-

(i) Accordingly, interested and eligible candidates are invited to submit their applications along with detail CV in the prescribed format, self attested copies of educational and professional qualification certificates & mark sheets, affidavit in prescribed format, experience certificate (If any) and Caste certificate/Creamy layer certificate/Residence certificate/ Physically Handicapped Certificate for employment in case of reserve category as per annexure etc. and an application fee of Rs. 2000/- (Two Thousand Only) via RTGS.

The account details for the payment of application fees as follows:

Name of the Bank- Union Bank of India

Branch- Argora, Vasundhara Megamart, Argora Bypass Road,

Argora, Doranda, Ranchi-834002

Account No- 708202010001816

Account Holder Name - M/S GENERAL MANAGER JUIDCO LTD

IFSC Code- UBIN0570826

- (ii) Interested candidates can download the application format and other details from the website "www.jharkhand.gov.in" of Urban Development & Housing Department, Govt. of Jharkhand.
- (iii) Duly filled in applications can be submitted through **on-line** by web address **"juidco.jharkhand.gov.in" under "Resources" head at "Job opportunities"** field on or before 1700 hrs. of 15.01.2018
- (iv) Candidates may apply **off-line**. Duly filled in applications should reach the following address on or before 1700 hrs. of 15.01.2018

Sri Kaushal Kishore Jha,

Under Secretary,

Urban Development and Housing Department,

Room No – 439, 4<sup>th</sup> Floor, Project Bhawan,

Dhurwa, Ranchi-834004

- (v) The Urban Development & Housing Department, Govt. of Jharkhand shall not in any way, be responsible for any delay in receipt of the application. Applications received after the due date and time shall not be entertained.
- (vi) No traveling allowance will be admissible to the candidates for appearing in examination.

Sd/-

### नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण डिप्लामाधारी अभियंताओं की विज्ञापन प्रकाशन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित आवेदन प्रपत्र

आवेदित	न पद	का नाम– कनीय अभियंता (असैनिक/विद्युत/यांत्रिक)	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	(i)	अभ्यर्थी का नाम	
1	(ii)	पिता / पति का नामलिंगलिंग	स्व—अभिप्रमाणित फोटोग्राफ
(	(iii)	जन्म तिथि (मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर)	(पासपोर्ट साईज)
(	(iv)	आरक्षण कोटि (UR, ST, SC, EBC-I, BC-II)	(
		नि:शक्तजन (हाँ या नहीं) यदि हाँ तो,नि:शक्तता का	
		प्रकार एवं प्रतिशत	
(	(v)	स्थायी पता	
(	(vi)	वर्त्तमान पता (पत्राचार का पता)	
		पिन नंo	
(	(vii)	डिप्लोमा उत्तीर्णता का वर्ष एवं तिथि	
(	viii)	संस्थान में प्रवेश का वर्ष	
(	(x)	संस्थान का नाम	
(;	x)	विषय (असैनिक / विद्युत / यांत्रिक)	
(;	xi)	डिप्लोमा का प्राप्तांक एवं प्राप्तांक का प्रतिशत	
()	xii)	अभ्यर्थी डिप्लोमा के निरन्तर वर्षों में उत्तीर्ण हैं अथवा किसी विषय में	
		पेपर बैक हुए हैं (हाँ / नहीं)	
()	xiii)	मैट्रिक उत्तीर्णता का वर्ष एवं प्राप्तांक का प्रतिशत	
(>	xiv)	RTGS के माध्यम से जमा किये गये परीक्षा शुल्क का विवरण	
(>	κv)	अनुभव, यदि कोई हो तो	
(x	kvi)	अभ्यर्थी का ई—मेल आई०डी० एवं मोबाईल संख्याः	
<del>00:</del>		आवेदक का ह	स्ताक्षर
तिथिं			
स्थान	••••••		
		घोषणा / शपथ	

में एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई सूचना सत्य है एवं भविष्य में यदि किसी तरह की गलती पायी गई, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होउंगा / होउंगी तथा नगर विकास एवं आवास विभाग को इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज / कागजात की छायाप्रति :

- मैट्रिकुलेशन का मूल एवं अंक प्रमाण पत्र।
- 2. डिप्लोमा का मूल एवं अंक प्रमाण पत्र।

( )

- 3. जाति प्रमाण पत्र (राज्य सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में)।
- 4. आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में झारखण्ड के स्थानीय निवासी का विहित प्रमाण पत्र (कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत),
- अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)।
- 6. नि:शक्त होने की स्थिति में, नि:शक्तता प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में
- जमा किये गये परीक्षा शुल्क की पावती रसीद की छायाप्रति।

आवेदक का हरताक्षर

### SPECIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION

### (To be executed on non judicial stamp paper)

ן (name of the application) s/o/d/o/w/o
solemnly declare and affirm as follows:
ii. That no punishment has been awarded to me against any Government enquiry proceedings or prosecution initiated against me for any offence/act of omission or commission.
iii. That I have not been convicted by any court or law for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof.
iv. That no civil or criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed are pending against me before any court of law.
v. That no warrant or summons for the appearance or a warrant for the arrest has been issued against me by a court under any law.
That the contents of my above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing in material has been concealed thereof.
I undertake that in the event of any of the information furnished above being found to be false or incorrect in any respect, my services are liable to be cancelled and appropriate action may be taken against me.
Applicant

Note: - Affidavit to be attested by authorized Magistrates/Notary.

परिशिष्ट (I) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि. -19-11/2008 का.-5682 दिनांक- 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

	झारखण्ड स	रकार		
	(कार्यालय का जाति प्रमाण (सभी कार्यों के	ा–पत्र		٠.
संख्ग	: 		तिथिः—	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री	/श्रीमती / कुमारी		***************************************	
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री		निवासी,	ग्राम / कस्बा / मोह	ल्ला
डाकघर	थाना	जिला	राज्य	, <b></b>
अनुसूचित जाति*/ः	अनुसूचित जनजा	ति* श्रेणी के अन्तर	বি	, <b></b>
जाति / उप जाति के सदस्य हैं,	जो झारखण्ड राज	ज्य के लिये अनुसूर्ी	वेत जाति*/अनुसूर्ी	चेत
जनजाति* के रूप में मान्यता प्रा	प्त है।			
2. श्री / श्रीमती / कुमारी		एवं/अथवा उन	का / उनकी परि	वार
साधारणतः गांव/करबा	, शहर , शहर		जिला	······································
राज्यमें निवास करते	हैं	.: `		÷
स्थान :		-	धिकारी का हस्ताक्षर	ξ
 दिनांक :		पदनाम	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(कार्यालय की मुहर)			·	Š
(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया न 1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2 में अंकित क्रमशः संविधान (अ जनजाति) संशोधन आदेश 19 2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचि	2000 की धारा–23 ानुसूचित जाति) सं 250	शोधन आदश 1950	एव सावधान (अनुसू।	पूची चेत

### परिशिष्ट (II)

कार्भिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जाति—19—11/2008 का.—10007 दिनांक— 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती,	/ कुमारी
पुत्र/पुत्री	ग्राम / शहर
थाना जिल	॥ झारखण्ड वे
रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों ए	
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए)
अधिनियम-2001*,** की धारा-2 कें अन्तर्गत अत्य	
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा व	
प्रापा समुदाय से आते / आती ह	<del>}</del>
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे	•
राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.0	
प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्य	
टी.) दिनांक- 08.09.1993 की अनुसूची के स्ताम्भ-3	में . उल्लिखित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी
लेयर) में शामिल नहीं हैं।	
रथान :	संक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	नाम
दिनाक :	पद्नाम
	(कार्यालय की मुहर)
(नोट: - जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)	

- 1. \* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुःशूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ / उप जातियाँ।
- 2. \*\* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा—2 में सिन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या—3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 06.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03. 2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय—समय पर यथा संशोधित।

### परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता. नीति—14—03/2016 का.—4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झार	खण्ड सरकार
,	
(काय	लिय का नाम)
	<u>यानीय निवासी प्रमारण पत्र</u>
प्रमाण पत्र सं0 :-	दिनाक :
प्रमाणित किया जाता	है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता / पित श्रीथानाथाना निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, सरकार के संकल्प संख्या—3198 दिनांक उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत वि	पता—ग्राम / वार्ड / शहर
स्थानः :	
दिनांक :	
कार्यालय का मुहर	प्रभाण पत्र निर्गत करने वाले
	पशाधिकारी का नाम एवं पदनाम



अनुबन्ध- ।

संस्थान/अरपताल का नाम और पता		
प्रमाण पत्र सं		तारीख

### निःशकः प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणि	ात किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/	पत्ना/सुपुत्र। निम्नलिखित श्रेणी की स्थादी निःशक्तता । चिन्ह
से ग्रर	
क.	गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)
(1)	दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(H)	दोनों बाहें (बी एल) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
	(ख) कमजोर पकड़
(111)	दोनों टांगे और बांहे (बी एल ए) – दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित
(IV)	एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
	(क) दुर्बल पहुँच
,	(ख) कमजोर पकड़
	(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(V)	एक बांह (ओ ए): - एक बांह प्रभावित
	(क) दुर्बल पहुँच
	(ख) कमजोर पकड़
	(जा) जाति विभ्रम (अटैक्सिस)



- (VI) पीठ और नितस्ब (बी एच) पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैंट और झुट नहीं सकते)
- (VII) कमजोर मांस पेशिदां (एम डब्ल्यू) मांस पेशियों में कमजोरी और सीिमत शारीरिक सहनशक्ति।
- ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि
- (i) बी-अंधापन
- (ii) यी बी आंशिक रूप से अंधता
- ग. कम सुनाई देना
- (i) डी बिधर
- (ii) पी डी आंशिक स्मा से बिधर (उस श्रेणी को न्दा दें-जो लागू न हो)
- 3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ...... है।
- (i) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है। हाँ/नहीं
- (ii) पी पी धकेलने और खींचने के जिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं हाँ/नहीं
- (iii) एल उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
- (iii) एर सकते/सकती हैं। हाँ/बहीं (iv) के सी घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/बहीं
- (iv) क सा पुजा प्राच्या हाँ/वहीं , (v) बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

(17) Liess

(vi)	एस – बैंटकर कार्य कर संकर्त/संदन्ता है।	हा/वहा
(vii)	एस दी – खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/वहीं
(viii)	डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix)	एस ई – देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/बही
(x)	एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्च कर सकते/सकती हैं।	हाँ/वहीं
(xi)	आरडब्ल्यू – पढ़ने और लिखने वे जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/वहीं
(डॉ	) (डॉ) (डॉ) (डॉ	)
	सदस्य	यक्ष -
	चिकित्सा बोर्ड	मा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साअधिकारी/ अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, (मुहर सहित)

💠 जो लागू न हो काट दें।